तहसीलदार श्रीमाधोपुर कैम्प जान्हवी खण्डेला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	विविध/प्रार्थनापत्र प्र.नं.-13/2021
	पार्टनर राकेश श्री कृपाराम पुत्र श्री भवँर लाल कुलवाल ने जरिये अधिवक्ता श्री सरदार सिंह कुडी-II RO के उपस्थित होकर एक राजीनामा मय वकालतनामा के पेश कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09-06-2017 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रचलित रास्ता से पूर्णत: सहमती व्यक्त करते हुए उक्त आदेश को बहाल रखने के लिये प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निस्तारण किये जाने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है। प्रस्तुत राजीनामा को शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 7-4-2021 को पेश हो।
7-4-21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी भी उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहते है। अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 9-4-2021 को पेश हो।
09.04.2021	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.04.22 13:21:05 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय

उपखण्ड अधिकारी (...)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम् जान्हवी झण्डेवाला रियल एस्टेट डवलपर्स
विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता
मुकदमा नं. 13/2021

आयुक्त महो. जयपुर के द्वारा अपील संख्या 50/2017 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 24.12.2018 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.06.2017 में पारित आदेश में अपीलान्ट/अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पुरोहित का बास के आराजी भूमि खसरा नम्बर 20, 19, 18, 2, 1 की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित करते हुए प्रकरण वापिस इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। जिस पर अप्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थी के पक्ष में लिखित में राजीनामा दिनांक 30.03.2021 को पेश कर अवगत कराया है कि ग्राम पुरोहित का बास में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 1.00 हैक्टर में से 0.0450 हैक्टर, खसरा नम्बर 19 रकबा 1.31 हैक्टर में से 0.0450 हैक्टर, खसरा नम्बर 18 रकमबा 1.18 हैक्टर में से 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2 रकबा 0.90 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1 रकबा 0.10 हैक्टर में से 0.0500 हैक्टर भूमि में से होकर प्रचलित रास्ता जो चल रहा था। जिसको राजस्व रिकार्ड में व राजस्व नक्शा ट्रेस में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.06.2017 से प्रचलित रास्ता दर्ज किया जा चुका था एंव मौके पर रास्ता चालू है। पक्षकारान् ने लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा पेश कर प्रार्थी जान्हवी झण्डेवालाज माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 09.06.2017 हेतु पूर्णतः सहमत होने तथा उक्त आदेश बहाल रखने के लिए प्रार्थी/जान्हवी झण्डेवालान को कोई आपत्ति नहीं होने बाबत लिखित में राजीनामा में अवगत कराया है। वकील अप्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आदेश दिनांक 09.06.2017 को राजीनामा के आधार पर बहाल रखा जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.04.22 13:21:05 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम् जान्हवी झण्डेवाला रियल एस्टेट डवलपर्स
विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता
मुकदमा नं. 13/2021

वही प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने प्रस्ताव मे अंकित खसरा नम्बरान् में रास्ता मौके पर चालू होने बाबत अवगत कराया है तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक हित में होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मौके पर आमजन के आवागमन के काम में आना अवगत कराया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में उक्त रास्ते की चौड़ाई चार मीटर होना तथा उक्त रास्ता ढ़ाणी नानूराम वाली धायलावाली पूनियावाली आदि ढ़ाणियों को जोड़ने बाबत अपने प्रस्ताव में अंकित किया हुआ है।

प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा ग्राम पुरोहित का बास में अवस्थित खसरा नम्बर 20, 19, 18, 2, 1 में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से उक्त भूमियों की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने की सहमति बतौर राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्ताव में अंकित ग्राम पुरोहित का बास के खसरा नम्बरान् में स्थित प्रचलित रास्ता को मौके पर चालू होना अवगत कराया है।

अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में अंकित भूमि खसरा नम्बरान् के प्रस्ताव प्रचलित रास्ता के सार्वजनिक हित में होने से स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर सार्वजनिक हित में स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के निर्णय आदेश क्रमांक 38/राजस्व/2017 दिनांक 09.06.2017 [illegible] रखा जाता है तथा ग्राम पुरोहित का [illegible] भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 1.00 हैक्टर में से 0.0450 हैक्टर, खसरा नम्बर 19 रकबा 1.5[illegible] हैक्टर में से 0.0450 हैक्टर, खसरा नम्बर 18 रकमबा 1.18 हैक्टर में से 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 2 रकबा 0.90 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1 रकबा 0.10 हैक्टर में से 0.0500 हैक्टर भूमियों को संलग्न नक्शा ट्रेस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.04.22 13:21:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम् जान्हवी झण्डेवाला रियल एस्टेट डवलपर्स
विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता
मुकदमा नं. 13/2021

अंकित/दर्ज खातेदारी भूमियों में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एंव गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्त निर्णय की प्रति एंव संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि वे उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक–पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड की जावें एंव राजस्व नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एंव नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय मोहर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.04.22 13:21:05 IST
Reason: SelfAttested